सं0- 37/2015/508/62-2-2015-2/3(51ः)/2014

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 09 मार्च,2015

विषय- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ के कार्यालय हेतु श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी श्री संजय कुमार अग्रवाल के भवन संख्या-108ए-6, जागृति बिहार, मेरठ के प्रथम तल को किराये पर लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1116/ल0सिं0/बजट-भ0कि0/2013-14, दिनांक 22-08-2014 एवं संख्या-231/ल0सिं0/बजट-भ0कि0/2015-16, दिनांक 09-02-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25-11-2011 में प्राविधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ के कार्यालय हेतु श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी श्री संजय कुमार अग्रवाल के भवन संख्या-108ए-6, जागृति बिहार, मेरठ के प्रथम तल के कुल कार्पेट एरिया-233.21 वर्गमीटर अर्थात 2510.48 वर्गफिट का किराया जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र सं0-669/नाजिर सदर/कि0औ0प्र0प0/2014-15, दिनांक 08-01-2015 द्वारा दिये गये औचित्य प्रमाण पत्र तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत `&10.00 रूपये प्रतिवर्गफिट की दर से `&25,105/- प्रतिमाह उक्त भवन के कब्जा लेने की तिथि से राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त भवन के किराये में वृत्रि 05 वर्ष से पूर्व नही की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त भवन का किराया भुगतान करने से पूर्व भवन स्वामी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-13 के नत्थी-ए तथा एपेडिक्स-10 के नियम-24 में संदर्भित फार्म पर अनुबन्ध करा लिया जाय तथा इसकी एक प्रति शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

ह0/

( चन्द्र प्रकाश )

प्रमुख सचिव।

सं0-37/2015/508(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी श्री संजय कुमार अग्रवाल के भवन संख्या-108ए-6, जागृति बिहार, मेरठ ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।